

**निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु लेखा परीक्षा फर्म के चयन के संबंध में हितों संबंधी पत्र**

हमारी कंपनी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है तथा हम कंपनी के निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु एक प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑडिट फर्म का चयन करने का प्रस्ताव रखते हैं। निवेश विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सभी प्रकार से साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू किए गए सांविधिक कर अनुपालन स्थिति इत्यादि सहित आईआरडीएआई और/या आरबीआई/सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण निर्देशों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों व निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा फर्म के चयन के लिए समय प्राधिकारी द्वारा तय की गई पात्रता मापदंड निम्नानुसार है:-

1. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत एक फर्म होगी।
2. आईआरडीएआई की ओर से बीमा कंपनियों के निवेश परीक्षण को संचालित करने बैंकों या म्युचुअल फंडों या बीमा कंपनियों के जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा को संचालित करने में, लेखा परीक्षा फर्म के पास कम-से-कम 4 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
3. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि पर लेखा परीक्षक को आंतरिक समवर्ती और जोखिम प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा एक साथ दो लेखा परीक्षकों से अधिक नहीं रखने चाहिए। इसलिए लेखा परीक्षण किसी भी समय पर सांविधिक लेखा परीक्षा के अलावा अधिकतम तीन लेखा परीक्षकों (अर्थात् निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा प्रक्रिया लेखा परीक्षण आंतरिक लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षण सभी को एक साथ लिया गया) तीन से अधिक नहीं रख सकते हैं। इस प्रायोजन के लिए नियुक्ति के समय पर फर्म इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगी।
4. लेखा परीक्षा फर्म को आईआरडीएआई, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई इत्यादि सहित किसी भी विनियामक एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित / निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।
5. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किए गए प्रबंधन लेखा परीक्षकों को जोखिम प्रबंधन लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति से तुरंत पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान हमारी कंपनी के लिए निम्नलिखित कार्य संपन्न नहीं हुए होने चाहिए:-
  - I. सांविधिक लेखा परीक्षा
  - II. कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा
  - III. कोई भी समवर्ती लेखा परीक्षा
  - IV. कोई भी परामर्श कार्य भले ही वह लेखा परीक्षा कार्यों से संबंधित है या नहीं।
6. लेखा परीक्षा फर्म का कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में होना चाहिए।
7. x

लेखा परीक्षा फर्म का चयन उपरोक्त मापदंडों के आधार पर होगा और इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में हितों का एक पत्र सुश्री भारती, मुख्य प्रबंधक, निवेश (लेखा) विभाग, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 को दिनांक 23.06.2020 तक को सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है।

लेखा परीक्षा फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा की जांच के बाद, वित्तीय अधिकारियों को उन फर्मों से बुलाया जाएगा जो उपरोक्त पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी शिकायत हेतु सुश्री भारती, मुख्य प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है जिनका फोन नं. 011-43659537 है या ई-मेल पर [bharati@orientalinsurance.co.in](mailto:bharati@orientalinsurance.co.in) संपर्क करें।

\* लेखा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टीए/डीए, वाहन भत्ते या जेब से होने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।

\* अंतिम आडिट रिपोर्ट 15.09.2020 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।